



EAST CENTRAL RAILWAY
DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL
DANAPUR

TENDER DOCUMENT
OF
TENDER NOTICE NO.: CMSECRDNRPATHOLOGYX-RAY

DATE OF OPENING: Stipulated on IREPS

Nature of work: To enter into rate contract as per maximum discount offered on MRP of CONSUMABLE(PATHOLOGYX-RAY) ITEMS under day to day retail local purchase for Divisional Railway Hospital Danapur for the period of 2 years from the issue of MoU.

THE CHIEF MEDICAL SUPERINTENDENT
EAST CENTRAL RAILWAY
DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL
DANAPUR
BIHAR

Application through e-Tender is invited on IREPS through open tender single packet system from suitable vendors/ suppliers/ firms for supply of consumables (pathology + x ray) items under day to day retail local purchase for Danapur Divisional Railway Hospital/ East Central Railway/ Danapur on rate contract basis for a period of 2 years.

1	Name of work	To enter into rate contract as per maximum discount offered on MRP of CONSUMABLE (PATHOLOGY AND X-RAY) ITEMS under day to day local purchase for Divisional Railway Hospital Danapur for the period of 2 years from the issue of MoU.
2	Tender Notice no	CMSECRDNRPATHOLOGYX-RAY
3	Reference	Railway board letter no. 2017/H/4/1/Local Purchase (E-3236402), dt. 31/07/2023
4	Nature of tender	Open/ Single Packet
5	Approximate cost of work	1300000/- (thirteen lakhs)
6	Earnest Money	2% OF TENDER VALUE i.e. Rs. 26000.00/-
7	Period of Completion	730 days (from the day of issue of MoU)
8	Validity	730 days (from the day of issue of MoU)
9	Tender document Cost	NA
10	Availability of fund	Fund is available under the head 11023128
11	Website particulars & notice board location where complete details of tender can be seen.	The tender notice is available on the website https://ecr.indianrailways.gov.in

Process for entering into rate contract for local purchase:

- Separate rate contract shall be entered for each group i.e. Medicine, Surgical and Consumable (Pathology + X-Ray) items.
- Rate contract shall be valid for a period of two years. Under exceptional circumstances, to maintain the continuity of supply, period of rate contract can be extended for a period maximum up to 3 months at a time with the approval of hospital in-charge and concurrence of associate finance. Total extension shall not be more than 6 months.
- Mode of tendering shall be single stage single packet system with open tender.
- Tendering shall be through e-tender on IREPS.
- Comparative charts of the financial bids for each of the categories in terms of discounts offered by vendors shall be prepared.
- Reasonability of the discounts offered by vendors will be assessed while deciding the tender.
- To avoid failure of supply in hospital, as per the need, rate contract may be entered with more than one vendor for local purchase as per need. Decision in this regard shall be taken by hospital in-charge. Quantity to be ordered against rate contracts shall be graded in relation to discounts offered by vendor's i.e. L1 will get the maximum supply orders.

03/8/24

03/8/24

Techno-commercial details:

a) Service Levels

- Service should be available 24* 7
- Supply/delivery of the items shall be done as per the local requirements.
- In case of life saving emergencies, vendor should be able to supply the items on a short notice preferably within one/two hour of being intimated on phone/whatsapp/ message or fax etc as decided.
- **Timely supply against the supply order along with full quantity and quality/brand etc as asked shall be the essence of the contract.**

b) Facilities

- Should follow statutory laws as laid down by central/state government authority for running the facility.
- Proper storage and cold chain should be maintained.

c) Legal / statutory requirements

- Valid drug license for storage and supply of drugs as stipulated by the local authority. Also valid license/legal/local formalities for establishment as well as manpower.
- It should have the valid documents as laid down by Local, state and central government agencies or other govt. bodies from time to time.
- GST registration details

d) Financial capability

- Average annual turnover of the vendor for the last three completed financial year prior to date of opening of tender should be equal to or more than (\geq) three times the average annual value of retail local purchase procurement made by the railway hospital in the last three completed financial years or three times the estimated annual value of purchase, whichever is higher.
- Vendor should show profits in at least two out of the three last three financial years. Balance sheet/Profit-loss account certified by CA should be submitted.
- Details of registration with any government/private/corporate hospital and past experience of supply to government /private/ corporate hospitals for establishing the performance/capacity of the vendor should be submitted.

e) Others

- Termination of rate contract-Railways reserves the right to terminate the rate contract any time without assigning any reason to vendor.
- The purchaser shall have the right to ask the vendor to show the purchase bill for the medicine/other items to ensure genuineness of the items being supplied.
- Railway reserves the right to send the drugs etc supplied in L.P. to be tested by Govt and other approved testing laboratories and if required, to inform Drug Controller for suitable action.
- Vendor shall indemnify the railway administration for any loss or liabilities arising due to defective/ sub-standard supplies by the vendor.
- Delivery shall be made by the supplier in accordance with the local requirements.


03/8/24

Dr
03/8/24


The approximate amount under day to day retail purchase and Consumable items purchased details for the last two financial year is summarized as follows:-

Items	Amount (2 years)
Consumable (Pathology + x ray) items : diagnostic reagents, ERBA EM 360 reagents, vaccutainers, x- ray film, digital x-ray film afga, dental x-ray films, Developers and fixers, diagnostic cards/ strips, specific machine compliance reagents, Lab Apparatus, culture media etc.	13 lakhs

The local purchase of medicines under day to day LP is governed by Model SOP Part B Para 7 (a) and remarks 6 “local purchase under 7(a) & (b) under normal circumstances should not exceed 15% of the total annual budget. Any purchases exceeding 15% of the total annual budget should be to the minimum extent necessary and have specific approval of PCMD and with duly recorded valid grounds.” The allocation head is 110-231-28.


03/8/24

Dr. Archana Rani
Sr.DMO/DNR


03/8/24
CMS/DNR

पूर्व मध्य रेलवे
मंडल रेल अस्पताल
दानापुर
निविदा दस्तावेज़

निविदा सूचना संख्या : CMSECRDNRPATHOLOGYXRAY

निविदा खुलने की तिथि : IREPS पर निर्धारित

कार्य की प्रकृति : रेलवे अस्पताल, दानापुर में स्थानीय खरीद के अंतर्गत पैथोलॉजी और एक्स-रे /कंज्यूमेबल (consumables) वस्तुओं की सप्लाई हेतु, MRP पर दी जाने वाली अधिकतम छूट के आधार पर, Vendors/Suppliers/Firms के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए दर अनुबंध करना

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पूर्व मध्य रेलवे
मंडल रेल अस्पताल
दानापुर, बिहार

पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर मंडल रेलवे अस्पताल
निविदा दस्तावेज़

दानापुर मंडल रेलवे अस्पताल/पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर में खुदरा दैनिक स्थानीय खरीद के तहत पैथोलॉजी और एक्स रे / कंज्यूमेबल (consumables) की वस्तुओं की आपूर्ति कराने के लिए, IREPS पर ओपन टेंडर सिंगल पैकेट सिस्टम के द्वारा ई-टेंडर के माध्यम से इच्छुक और उपयुक्त विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है। यह दर अनुबन्ध समझौता ज्ञापन की तिथि से 02 वर्षों के लिये मान्य होगा।

1	कार्य का नाम	स्थानीय खरीद के अंतर्गत पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं/ कंज्यूमेबल (consumables) की सप्लाई हेतु, MRP पर दी जाने वाली अधिकतम छूट के आधार पर, Vendor/Supplier के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए दर अनुबंध करना
2	निविदा क्रमांक संख्या	CMSECRDNRPATHOLOGYXRAY
3	संदर्भ	रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक संख्या .2017/H/41/LOCAL PURCHASE (E-3236402), DT.-31/07/2023
4	निविदा की प्रकृति	ओपन ई -टेंडर सिंगल पैकेट सिस्टम
5	कार्य की अनुमानित लागत	1300000/- (तेरह लाख रुपये) मात्र
6	EMD राशि	निविदा मूल्य का 2 % अर्थात रु. 26000/- छब्बीस हजार रुपये मात्र
7	समापन की अवधि	730 दिन MoU जारी होने के दिन से
8	वैधता	730 दिन (टेंडर खुलने की तिथि से
9	निविदा दस्तावेज लागत	NA
10	राशि का आवंटन	राशि शीर्ष 11023128 के तहत व्यय होगी
11	वेबसाइट, नोटिस बोर्ड का विवरण।	निविदा सूचना वेबसाइट https://ecr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

स्थानीय खरीद के लिए दर अनुबंध में प्रवेश करने की प्रक्रिया :-

1. प्रत्येक समूह यानी मेडिसिन (Medicine), सर्जिकल(Surgical) और कंज्यूमेबल (consumables)/ (पैथोलॉजी एक्स-रे आइटम) के लिए अलग-अलग दर अनुबंध दर्ज किया जाएगा।
2. यह दर अनुबन्ध समझौता ज्ञापन की तिथि से २ वर्षों के लिये मान्य होगा। असाधारण परिस्थितियों में आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए दर अनुबंध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अस्पताल प्रभारी के अनुमोदन और वित्त विभाग की सहमति से एक बार में अधिकतम 3 महीने तक तथा कुल विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा।
3. निविदा में भाग लेने का माध्यम वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ओपन ई -टेंडर सिंगल पैकेट सिस्टम होगा।
4. प्रत्येक श्रेणी के लिए i.e. Medicine, Surgical, Consumables (Pathology & X-ray items) विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित छूट के आधार पर वित्तीय बोलियों का तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाएगा
5. निविदा तय करते समय विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली छूट की तर्कसंगतता का आकलन किया

16/8/24

जाएगा।

6. अस्पताल में आपूर्ति की विफलता से बचने के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक विक्रेता के साथ दर अनुबंध किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय अस्पताल प्रभारी द्वारा लिया जाएगा। क्रय आदेश का विपणन विक्रेताओं द्वारा दर अनुबंध में दी गयी छूट के अनुसार ही होगा यानी L-1 विक्रेता या फर्म को अधिकतम क्रय आदेश प्राप्त होगा।

तकनीकी-वाणिज्यिक विवरण :-

A. सेवा स्तर

- I. सेवा 24 x 7 उपलब्ध होनी चाहिए
- II. पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables)की आपूर्ति / डिलीवरी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।
- III. जीवन बचाने वाली आपात स्थिति के मामले में विक्रेता को कम समय में पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables)की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए। फ़ोन, व्हाट्सएप, संदेश, फ़ैक्स या किसी भी अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर, एक से दो घंटे के भीतर पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं की आपूर्ति हो जानी चाहिए।
- IV. पूर्ण मात्रा और गुणवत्ता, ब्रांड आदि के साथ आपूर्ति या क्रय आदेश की ससमय आपूर्ति ही दर अनुबंध का सार तत्व होगा।

B. सुविधाएं

- I. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/फर्म को केंद्र /राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वैधानिक कानूनों का पालन करना चाहिए।
- II. उचित भंडारण और कोल्ड चेन बनाए रखी जानी चाहिए।

C. कानूनी/वैधानिक आवश्यकताएँ

1. स्थानीय प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध ड्रग लाइसेंस। स्थापना के साथ-साथ योग्य श्रमशक्ति तथा अन्य /कानूनी/स्थानीय औपचारिकताएं भी।
2. स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों और जरूरी कागजात का अनुपालन
3. जीएसटी पंजीकरण विवरण।

D. वित्तीय क्षमता:-

1. पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के लिए विक्रेता का औसत वार्षिक कारोबार निविदा खुलने की तारीख तक, निविदा की लागत रकम से तीन गुना के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. Supplier/Firm/Vendor के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वित्तीय वर्षों में मुनाफा होना चाहिए। CA द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि(Profit-Loss) खाता प्रस्तुत करना होगा।
- 2 किसी भी सरकारी/ निजी/ कॉर्पोरेट अस्पताल या संस्था में पिछले पंजीकरण का विवरण यदि हो या किसी भी सरकारी/निजी/कॉर्पोरेट अस्पताल या संस्था को पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables)की आपूर्ति का अनुभव हो जिससे वेंडर/ फर्म की परफॉरमेंस रिपोर्ट प्रमाणित हो सके।

16/8/24

16/8/24

E. अन्य

- 1 रेलवे के पास किसी भी समय बिना कोई कारण बताए दर अनुबंध (Rate Contract) को को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 3 क्रेता (रेलवे) को विक्रेता (Vendors/Firm) से आपूर्ति की जा रही पैथोलॉजी और एक्स-रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables) की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए खरीद बिल दिखाने या मांगने का अधिकार होगा।
- 4 रेलवे को स्थानीय खरीद में आपूर्ति की गई पैथोलॉजी और एक्स-रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables) वस्तुओं को सरकार द्वारा संचालित या अन्य अनुमोदित लैब में परीक्षण जांच हेतु भेजने का अधिकार सुरक्षित है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही के लिए औषधि नियंत्रक या विभाग को सूचित किया जा सकता है।
- 5 Suppliers/Firms/Vendors द्वारा दोषपूर्ण, घटिया आपूर्ति या किसी भी नुकसान या देनदारियों के लिए रेलवे प्रशासन को क्षतिपूर्ति देगा।
- 6 Suppliers/Firms/Vendors को पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables) वस्तुओं की आपूर्ति वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार करनी होगी।

पिछले दो वित्तीय वर्ष में दिन-प्रतिदिन की स्थानीय खुदरा खरीद (Day to Day Retail Local Purchase) द्वारा खरीदी गई पैथोलॉजी और एक्स रे वस्तुओं / कंज्यूमेबल (consumables) के अंतर्गत अनुमानित राशि का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है:-

Items (सामान)	मद राशि (2 वर्ष के लिए)
कंज्यूमेबल (पैथोलॉजी + एक्स-रे) वस्तुएं: डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स, ERBA M 360 रीएजेंट्स, वाक्कुटेनेर्स, एक्स रे फिल्मस, डेवलपर्स एंड फिक्सर, डायग्नोस्टिक कार्ड्स/ स्ट्रिप्स, एक्स- रे फिल्म AFGA, डेंटल एक्स रे फिल्मस, विशेष मशीन के रीएजेंट्स, लैब यंत्र, कल्चर मीडिया इत्यादि	1300000/- (तेरह लाख रुपये) मात्र

स्थानीय दैनिक खरीद (Day to Day Local Purchase) के तहत सर्जिकल वस्तुओं की स्थानीय खरीद मॉडल SOP भाग B पैरा 7(A) और टिप्पणी 6 में निहित है।

सामान्य परिस्थितियों में स्थानीय खरीद में खरीदी गयी सर्जिकल वस्तुओं की लागत न्यूनतम आवश्यक सीमा या कुल वार्षिक बजट का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा की खरीद के लिए PCMD का विशिष्ट अनुमोदन विधिवत तथा वैध आधार के साथ प्राप्त होना चाहिए। राशि का आवंटन तथा व्ययन शीर्ष 110-231-28 है।

डॉ. पी. के. मिश्रा 18/12/24
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/दानापुर

डॉ. अर्चना रानी
वरीय मंडल चिकित्सा अधिकारी